तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित । पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी । पत्रावली पूर्वदत दिनांक 8/1/25 को पेश हो । स्थगन आदेश भी अवधी आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है
8/1/25	पत्रावली पेश है वकील पक्षकारान उप० है स्थगन आदेश भी अवधी आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है मिसल वास्ते बहस हेतु फा० डिसीजन 28/2/25 को पेश हो Raminwas
28/2/25	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित । पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी । पत्रावली पूर्वदत दिनांक 23/4/25 को पेश हो ।
23/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी राज. कार्य से मीटिंग, शिविर मुख्यालय से बाहर है। पत्रावली पूर्ववत दि० 17/6/25 को पेश हो।
17/6/25	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित । पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी । पत्रावली पूर्वदत दिनांक 6/8/25 को पेश हो ।
06/08/2025	पत्रावली पेश हुई/ अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित/ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज० का०अ० अधिनियम 1955 पर उभयपक्ष बहस

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने submission किया कि विवादित आराजी ख. सं. 202, 293 तथा 294 वादी की खातेदारी भूमि है तथा अप्रार्थीगण का कोई हित सम्बद्ध नहीं है। ग्राम दौलतपुरा तहसील पीपलदा स्थित उक्त आराजी मे अप्रार्थीगण द्वारा काश्त करने मे बाधा उत्पन्न की जा रही है अतः अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि के समीप अप्रार्थी की आबादी है तथा प्रार्थी सीमाज्ञान व पैमाइश करवाकर चिन्हित करवा सकता है।

उभयपक्ष बहस मनन किया व पत्रावली पर दस्तावेजों का अवलोकन उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे है। द्वितीय इस प्रकार के दखलंदाजी से ~~जो~~ काश्त मे बाधा उत्पन्न होने के कारण सुविधा संतुलन भी वादी के पक्ष मे है। तथा विवादित आराजी पर यथास्थिति बनाये रखना प्रार्थीगण के लिए आवश्यक है अन्यथा उसे अपूरणीय क्षति होने की संभावना है

अतः ख.सं. 202, 293 तथा 294 पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा अप्रार्थीगण नहीं करे इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी (तायफैसला) की जाती है। साथ ही किसी प्रतिवादी से भी बाधा उत्पन्न नहीं करावे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अतः प्रार्थना पत्र फैसल शुमार हो तथा मूल नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।